**भारत सरकार**

**ग्रामीण विकास मंत्रालय**

**ग्रामीण विकास विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 438**

**(04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)**

**मनरेगा के लिए बजटीय आवंटन**

**438. श्री तारिक अनवर:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के लिए बजटीय आवंटन सरकार द्वारा अनुमानित मांग से लगातार कम रहा है , यदि हां, तो बजट में कमी किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान मनरेगा के लिए बजट आवंटन , संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) मनरेगा के तहत लंबित मजदूरी भुगतान की कुल राशि बिहार सहित राज्यवार कितनी है;

(घ) पिछले वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत मजदूरी संवितरण में देरी के कारण और इन विलंब की औसत अवधि क्या है; और

(ङ) मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और मनरेगा में वित्त पोषण अंतराल को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**

**(श्री कमलेश पासवान)**

**(क) और (ख):** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है और सरकार जमीनी स्तर पर काम की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान (बीई) चरण में 86,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है जो कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत बजट अनुमान (बीई) चरण में शुरू से अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 (28.01.2025 तक) के दौरान बजट अनुमान चरण , संशोधित अनुमान चरण और महात्मा गांधी नरेगा के तहत जारी की गई निधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

| | | | (करोड़ रूपए में) |
|---|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | जारी राशि |
| 2019-20 | 60,000.00 | 71,001.81 | 71,687.71 |
| 2020-21 | 61,500.00 | 1,11,500.00 | 1,11,170.86 |
| 2021-22 | 73,000.00 | 98,000.00 | 98,467.84 |
| 2022-23 | 73,000.00 | 89,400.00 | 90,810.99 |
| 2023-24 | 60,000.00 | 86,000.00 | 89,268.30 |
| 2024-25 (दिनांक 28.01.2025 की स्थिति के अनुसार) | 86,000.00 | -- | 82,421.05 |

**(ग):** दिनांक 27.01.2025 तक महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत मजदूरी घटक हेतु लंबित देयताओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (बिहार सहित) ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

**(घ) और (ड़):** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार , लाभार्थियों को काम के मस्टर रोल के बंद होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान पाने का अधिकार है। भारत सरकार ने समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की है। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर मजदूरी के समय पर भुगतान में सुधार के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर भुगतान आदेश तैयार करने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना ) के तहत श्रमिकों को मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं:

(i) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस) का उन्नयन
(ii) मजदूरी का समय पर भुगतान , लंबित मुआवजों का सत्यापन आदि से संबंधित कार्यनीति बनाने के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ गहन परामर्श।
(iii) समय पर भुगतान और मुआवजे के भुगतान की निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना।
(iv) वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रुप देने संबंधी बैठक , मध्यावधि समीक्षा बैठक , श्रम बजट संशोधन बैठक, मासिक समीक्षा बैठक के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के दौरे के दौरान मजदूरी के समय पर भुगतान और विलंबित मुआवजे के भुगतान की स्थिति के मुद्दे की भी समीक्षा की जाती है।

इन पहलों से मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर निधि अंतरण आदेश (एफटीओ ) समय पर तैयार करने में मदद मिली है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष (29.01.2025 तक) के दौरान 15 दिनों के भीतर तैयार किए गए एफटीओ का विवरण नीचे दिया गया है:

| पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष ( 29.01.2025 तक) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के तहत मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर तैयार निधि अंतरण आदेश (एफटीओ)। | | | | |
|---|---|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 |
| 15 दिनों के भीतर तैयार किये गये निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) का प्रतिशत | 98.47 | 97.91 | 92.5 | 96.54 |

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 04.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 438 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

| **दिनांक 27.01.2025 तक महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत मजदूरी घटक के लिए लंबित देनदारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (रु. करोड़ में)** | | |
|---|---|---|
| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम | मजदूरी घटक के लिए लंबित देयताएं |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 67.35 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 28.65 |
| 3 | असम | 140.34 |
| 4 | बिहार | 670.01 |
| 5 | छत्तीसगढ | 175.86 |
| 6 | गोवा | 0.33 |
| 7 | गुजरात | 62.67 |
| 8 | हरियाणा | 26.06 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 89.60 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 72.13 |
| 11 | झारखंड | 117.45 |
| 12 | कर्नाटक | 140.41 |
| 13 | केरल | 485.99 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 261.50 |
| 15 | महाराष्ट्र | 278.61 |
| 16 | मणिपुर | 48.00 |
| 17 | मेघालय | 65.74 |
| 18 | मिजोरम | 17.73 |
| 19 | नागालैंड | 3.73 |

| | | |
|---|---|---|
| 20 | ओडिशा | 118.22 |
| 21 | पंजाब | 64.71 |
| 22 | राजस्थान | 472.54 |
| 23 | सिक्किम | 3.24 |
| 24 | तमिलनाडु | 1652.45 |
| 25 | तेलंगाना | 15.46 |
| 26 | त्रिपुरा | 114.59 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 1214.85 |
| 28 | उत्तराखंड | 22.26 |
| 31 | पुदुचेरी | 1.09 |
| 32 | लद्दाख | 2.37 |
| कुल | | 6433.95 |